न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 18 / 2008

अपीलांट		उतरदातागण
1 श्रीमती धापू पत्नी केवलराम जाति गुरडा निवासी भाड़खा तहसील बाडमेर एवं सियाणी तहसील रामसर व जिला बाडमेर।	बनाम	1 ग्राम पंचायत भाड़खा जरिये सरपंच 2 मुस्मात बन्तली पत्नी खीमाराम 3 हेमाराम पुत्र कानाराम 5 ताराराम पुत्र हरदास जाति गुरडा निवासी भाड़खा तहसील बाडमेर एवं सियाणी तहसील रामसर जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री नृसिंह सोलंकी, वकील अपीलार्थी।

आदेश

दिनांक 17.01.20

संक्षिप्त में अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 02 से 05 एवं अपीलान्ट हिन्दु विधि से शासित होते है तथा पक्षकारान पूर्व पुरूष समरथाराम के वंशज है, जिनकी वंशवृक्ष निम्नप्रकार है :–

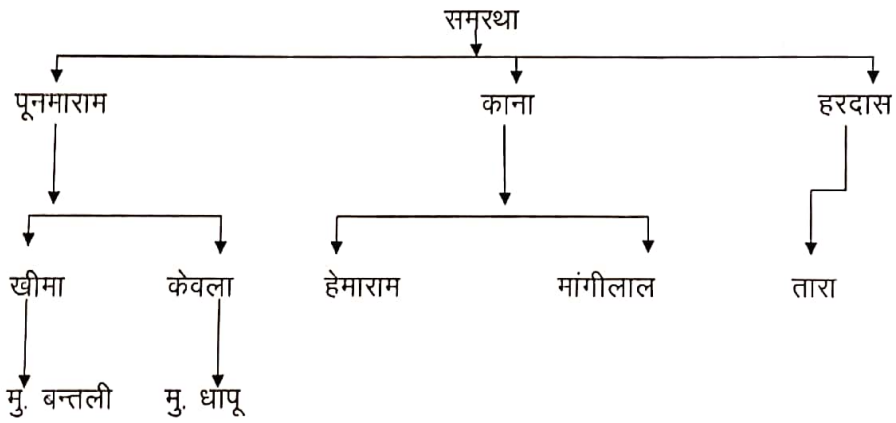

अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 02 बन्तली के ससुर मुतवफी पूनमा, उतरदाता संख्या 03 से 05 के पिता मुतवफी काना तथा उनके भाई हरदास के पुत्र उतरदाता संख्या 05 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा भाड़खा पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 350 रकबा 65.12 बीघा, खसरा संख्या 813 रकबा 121.04 बीघा, खसरा संख्या 818 रकबा 30.08 बीघा तथा खसरा संख्या 812 रकबा 01.02 बीघा कुल रकबा 218.06 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलान्ट के ससुर के दो पुत्र खीमाराम और केवलाराम थे, दोनो विवाहित थे उतरदाता संख्या 02 मुतवफी खीमाराम की पत्नी तथा अपीलान्ट मुतवफी केवलाराम की विवाहित पत्नी है। अपीलान्ट के पति केवलाराम का निसतांन देहान्त अपने पिता पुनमाराम के जीवनकाल में हो गया था। नामान्तकरण संख्या 889 उरतदाता संख्या 02 के पति खीमाराम ने अपने अकेले के नाम खुलवा कर उतरदाता संख्या 01 ग्राम पंचायत भाडखा से स्वीकृत करवा दिया और उक्त नामान्तकरण के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट का नाम न आकर अकेले खीमाराम का नाम अंकित हो गया। अपीलाधीन नामाकन्तकरण पारित होने के पश्चात समस्त पक्षकारान की जायज आवश्यकता के कारण कुछ भूमि का समस्त

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पक्षकारान की सहमति से बेचान हो गया व कुछ खसरों में से सड़क निकलने से भूमि सड़क में चली गई। वर्तमान में ग्राम हरीयाली (भाड़खा) पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 968/818 रकबा 30.08 बीघा व खसरा संख्या 992/813 रकबा 62.04 बीघा कुल रकबा 92.12 बीधा तथा ग्राम भाड़खा पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 495/350 रकबा 65.12 बीघा भूमि खाते में शेष रही। अपीलान्ट के जेठ उतरदाता संख्या 02 के पति खीमाराम का देहान्त होने पर उतरदाता संख्या 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। उक्त भूमि में अपीलान्ट एवं उतरदाता संख्या 02 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है एवं उसी अनुसार कब्जा काश्त है। हाल ही में अपीलान्ट को अपने अधिकार संशयप्रद प्रतीत हुआ तब अपीलान्ट ने बाडमेर आकर अपने वकील मुकर्र कर अपने ससुर की फौतगी पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 889 की नकले दिनांक 16.07.2008 को मांगी जो दिनांक 16.07.2008 को प्राप्त हुई। उक्त नामान्तकरण का अवलोकन करने पर पूनमाराम के फौतगी नामान्तकरण पर अपीलान्ट के जेठ खीमाराम का नाम ही दर्ज हुआ। अपीलान्ट मृतक केवलाराम की विवाहित पत्नी होने से प्रथम वर्ग की वारिस है। उतरदाता संख्या 01 द्वारा नामान्तकरण संख्या 889 दिनांक 21.11.1981 पर पारित आदेश विधि सम्मत नही होने से खारिज योग्य है।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील उतरदाता संख्या 01, 02 व 04 ने आज दिन तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है।

वकील अपीलाकर्ता की बहस सुनी गई। वकील अपीलकर्ता द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि में अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 02 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा पर निरन्तर कब्जा काश्त है। पैतृक भूमि में पूनमाराम के देहावसान पश्चात् हिन्दुउतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत उसके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसानों के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु अपीलाधीन खेतों में अपीलकर्ता का नाम दर्ज नही किया गया, जो दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 889 आदेश दिनांक 21.11.1981 को खारिज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर वकील अपीलार्थीनी का कथन है कि हाल ही में अपीलकर्ता को ज्ञात हुआ कि उसका नाम अपीलाधीन भूमि में नही है तथा सम्बन्धित पटवारी से नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थीनी स्वर्गीय पूनमाराम की पुत्रवधु होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है, परन्तु जब उसे नामान्तकरण की भूल का ज्ञान हुआ तो उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीनी स्वर्गीय पूनमाराम की पुत्रवधु होने से प्रथम श्रेणी की वारिस होने से पूनमाराम के देहावसान पर जरिये नामान्तकरण अपना हिस्सा अंकित करवाने की अधिकारिनी है। म्याद के बिन्दु पर प्रकरण को खारिज करने का कोई वैधानिक आधार नही है।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त वकील अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत तर्को से हम सहमत है कि अपीलार्थीनी पैतृक भूमि में पूनमाराम के देहावसान पश्चात् हिन्दुउतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत उसके प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसानों के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु अपीलाधीन खेतों में अपीलकर्ता का नाम दर्ज नही किया गया, जो दर्ज करवाने की अधिकारी हैं तथा तथ्यों की जानकारी होने के एक माह के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है। लिहाजा अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर चिन्तन मनन किया। प्रकट तथ्यों के मद्देनजर हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि अपीलकर्ता के ससुर पूनमाराम के देहान्त होने पर उसकी पैतृक भूमि में उसकी पुत्रवधु अपीलकर्ता धापू के नाम हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु अपीलाधीन भूमि में पूनमाराम के देहान्त पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 889 खोला गया जिसमें अपीलान्ट का नाम अंकित ही नही किया गया अपितु अपीलान्ट के पति का हिस्सा उसके भाई खीमाराम में विलीन कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 889 पर पारित आदेश दिनांक 21.11.1981 में अपीलार्थी का नाम ही अंकित नही किया गया, जो विधिसम्मत नही है। अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर मौजा भाड़खा पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 350 रकबा 65.12 बीघा, खसरा संख्या 813 रकबा 121.04 बीघा, खसरा संख्या 818 रकबा 30.08 बीधा तथा खसरा संख्या 812 रकबा 01.02 बीधा कुल रकबा 218.06 बीघा भूमि में उतरदाता संख्या 01 द्वारा नामान्तकरण संख्या 889 पर पारित आदेश दिनांक 21.11.1981 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त भूमि में से वर्तमान में शेष रही भूमि ग्राम हरीयाली (भाड़खा) पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 968/818 रकबा 30.08 बीघा व खसरा संख्या 992/813 रकबा 62.04 बीघा कुल रकबा 92.12 बीधा तथा ग्राम भाड़खा पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 495/350 रकबा 65.12 बीघा भूमि में अपीलकर्ता का नाम सम्मिलित करते हुए नियमानुसार नये सिरे से नामान्तकरण पारित करें।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 12/11/20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.03.02 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: